कार्यालय लेखा प्रशिक्षण शाला भोपाल

क्रमांक/ले.प्र.शा./स्था./2016/252 भोपाल, दिनांक 13/06/2016

प्रति,

प्रधान मुख्य वन सर.

प्रा. सरा वि. भोपाल

विषयः–लेखा प्रशिक्षण की परीक्षा के नवीन व्यवस्था के संबंध में ।

सन्दर्भः–वित्त विभाग के आदेश क्र–160/3860/2015/ई/चार, दिनांक 20/01/2016 एवं वित्त विभाग के आदेश क्र/डीटीए/परीक्षा/2016/56 दिनांक 30/05/2016

––0––

विषयान्तर्गत लेख है कि शासन द्वारा उपरोक्त संदर्भित आदेश के द्वारा माह अक्टूवर 2016 में आयोजित होने वाली परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश प्रसाारित किये गये है जिसकी छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

आपके कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों जो निम्ननानुसार हैः–

क्र	कर्मचारी का नाम	पदनाम	प्रशिक्षण सत्र का नाम	रिमार्क
1	राकेशकुमारअहिवार	स० ग्रे० 3	अप्रेल से जून 2016	
2	राजेन्द्र [illegible]	स० ग्रे० 3	–"–	

उपरोक्त प्रशिक्षणार्थीयो को माह अक्टूवर 2016 मे होने वाली लेखा प्रशिक्षण परीक्षा में सम्मिलित होना है उन्हे संदर्भित पत्र द्वारा निर्धारित नवीन व्यवस्था अनुसार संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में सही एवं सुस्पष्ट जानकारी समस्त बिन्दुओ की पूर्ति करते हुये यथा स्थान संबधित कर्मचारी के द्वारा सह प्रमाणित नवीन छाया चित्र आवेदन पत्र पर चस्पा कर कार्यालय प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित कर इस कार्यालय को दिनांक **04/07/2016** उपलब्ध कराने की कार्यवाही करे।

उपरोक्त बंछित जानकारी अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में निश्चित तिथि तक उपलब्ध न होने की स्थिति मे इस कार्यालय का कोई उत्तर दायित्व नही होगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

3733 22-6-16

20/6/16

प्राचार्य

लेखा प्रशिक्षण शाला भोपाल

वित्त विभाग
म0प्र0 शासन
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक/डी.टी.ए./परीक्षा/2016/56 भोपाल, दिनांक 30/05/2016

प्रति

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक Bhopal
म0प्र0।
2. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला
म0प्र0।

विषय – नवीन विभागीय परीक्षाओं की व्यवस्था के संबध में ।
सन्दर्भ – वित्त विभाग के आदेश क–160/3860/2015/ई/चार, दिनांक 20/01/2016

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के अनुक्रम मे आपको अवगत कराया जाता है कि वित्त विभाग के संदर्भित आदेश की म0प्र0 राजपत्र में दिनांक 19.02.2016 को अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है, जिसकी फोटो प्रति भी संलग्न है।

विभागीय प्रशिक्षण एवं परीक्षा के संबंध में निम्न तथ्यों का ध्यान रखा जावें :–

1. नवीन विभागीय परीक्षा नियम से सभी प्रशिक्षणार्थी जिन्होनें पूर्व में लेखा प्रशिक्षण शाला में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो तथा वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है, उन्हें एवं उनके कार्यालय को लिखित में अवगत करा दिया जाये।
2. लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को लेखा प्रशिक्षण शाला में दिये जाने वाला प्रशिक्षण तथा परीक्षा में अन्तर से भी अवगत करा दिया जाये, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण विषयों में कोई परिवर्तन नही किया गया है। अतः प्रशिक्षण पूर्ववत सभी विषयवार ही दिया जाये तथा यह स्पष्ट कर दिया जाये कि परीक्षा वित्त विभाग के परीक्षा नियम के नियम–4 में उल्लेखित विषय अनुसार ही ली जायेगी।
3. पूर्व मे परीक्षा 05 विषयों पर होती थी, कुछ प्रशिक्षणार्थी जो पूर्व मे एक या एक से अधिक विषयों में मुक्ति अंक (EXEMPTION) प्राप्त कर लेते थे, यह प्रकिया नये परीक्षा नियम में समाप्त कर दी गयी है। नवीन परीक्षा नियम क्रमांक–2 के अनुसार सभी को केवल दो अवसर प्राप्त होंगे। अतः यह स्पष्ट है कि 02 अवसर अक्टूबर 2016 से आयोजित होने वाली परीक्षा से गिने जायेंगे। वे अभ्यार्थी भी इस परीक्षा में बैठने के पात्र होगें जिन्होने पूर्व में एक अथवा एक से अधिक विषयों पर मुक्ति अंक (EXEMPTION) प्राप्त कर लिये है किन्तु वें परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके है, इन कर्मचारियों का भी यह प्रथम अवसर गिना जायेगा।
4. नये परीक्षा नियम में नियमित एवं स्वाध्यायी प्रशिक्षणार्थी का उल्लेख नही है। अतः यह स्पष्ट है कि जिन्होने एक लेखा प्रशिक्षण सत्र का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक नियमित प्रशिक्षणार्थी के रूप में प्राप्त किया हो सिर्फ वे ही परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे।
5. ऐसे प्रशिक्षणार्थी जो लोक निर्माण विभाग, सिचांई विभाग, स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं वन विभाग में पदस्थ है, इन कर्मचारियों को पूर्व में उनके विभागीय विषय पर एक या दो पेपर पृथक से अतिरिक्त रूप से देने पडते थे, प्रशिक्षण पाठयक्रम में तो उन्हे इन विषयों का प्रशिक्षण पृथक से पूर्वानुसार दिया जाता रहेगा, परन्तु परीक्षा नये परीक्षा नियम 2016 के नियम–4 के अनुसार ही ली जायेगी।

6. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश कमांक एम 19–85–1996/1/4 दिनांक 06.06.1996 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश कमांक एफ 11–38/2015/1/9 दिनांक 11–1–2016 द्वारा राज्य शासन ने यह निर्देश दिये है कि शासन का समस्त काम–काज हिन्दी भाषा मे ही किया जाये, अन्यथा उसे अनुशासनहीनता मानकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। अतः प्रश्न पत्र हिन्दी में सेट किये जायेगें आवश्यकता अनुसार तकनीकी शब्द कोष्टक में अंग्रेजी में भी रहेगे। प्रशिक्षणार्थी अपना उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में दे सकते है, परन्तु प्रशिक्षणार्थी को यह अवगत करा दें कि शासन की मंशा अनुसार अधिक से अधिक कार्य हिन्दी मे ही किया जाये।

7. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश कमांक सी–3–8/2013/3 दिनांक 1–7–2013 के अनुसार जिन्होंने कम्प्यूटर डिप्लोमा/हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा प्रमाण पत्र उत्तीर्ण किया है अथवा सीधी भर्ती/पदोन्नत पदों में शासन निर्देशानुसार छूट है वे ही शासकीय सेवक प्रशिक्षण/परीक्षा मे सम्मिलित होने के पात्र होंगे।

8. प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ होने के प्रथम दिवस एवं इसके पूर्व में संचालित हो चुके प्रशिक्षण सत्रों के (जिन लेखा प्रशिक्षण सत्रों की परीक्षायें नहीं हुई है।) सभी प्राचार्य एक रजिस्टर संधारित करेंगे जिसमें अभ्यार्थी का पूर्ण विवरण दो फोटो (स्व प्रमाणित) एवं पहचान चिन्ह सहित रखा जावेगा रजिस्टर कार्य में प्रशिक्षणार्थियों का नाम, जन्मतिथि, नियुक्ति का प्रकार, निवास का पूर्ण पता, विभाग का नाम कार्यालय का पता, जाति, आधार नम्बर, निष्ठा प्रमाण–पत्र, दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। रजिस्टर में उपलब्ध फोटो व्यक्तिगत जानकारी एवं पहचान चिन्ह को परीक्षा के दौरान पहचान हेतु मिलान किया जायेगा। इसी रजिस्टर के आधार पर प्राचार्य परीक्षा में सम्मिलित होने के दो अवसरों का भी रिकार्ड भी अंकित करेंगे। सत्र के सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थी का उपरोक्तानुसार रिकार्ड दो प्रतियों में 30 मई 2016 तक तैयार कर लिया जाये (पंजी का प्रारूप संलग्न)

9. कमांक–8 में उल्लेखित रिकार्ड की एक प्रति संचालनालय भेजी जावे इस रिकार्ड के आधार पर संचालनालय कोष एवं लेखा की परीक्षा शाखा में प्रशिक्षणार्थियों के रोल नम्बर एवं प्रवेश–पत्र तैयार किये जायेंगे। अतः जून 2016 में समाप्त होने वाले सत्र तक के समस्त प्रशिक्षणार्थियों के डाटाबेस तैयार कर लिया जाये।

10. लेखा प्रशिक्षण परीक्षा के लिये आवेदन संचालनालय द्वारा विहित किये गये प्रारूप में उस संबंधित प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, जिस केन्द्र से अभ्यार्थी ने प्रशिक्षण लिया है के कार्यालय में जमा करना होगा। प्राचार्य द्वारा आवेदन पत्र की जांच करने के पश्चात् ही केवल अनुशंसा के आधार पर संचालनालय द्वारा रोल नं0 जारी किये जायेंगे।

11. परीक्षा नियम के नियम--10 में स्पष्ट उल्लेख है कि परीक्षा सिर्फ एक दिन भोपाल में आयोजित की जायेगी। अतः प्रशिक्षणार्थियों को अवगत करा दिया जाये कि वें आवश्यक टी0ए0/डी0ए0 अथवा उसका यात्रा अग्रिम अपने–अपने विभाग के माध्यम से ही प्राप्त करेगें। संचालनालय कोष एवं लेखा तथा लेखा प्रशिक्षण शाला किसी भी प्रशिक्षणार्थी को किसी भी तरह का टी0ए0/डी0ए0 का भुगतान नही करेगे।

12. नये परीक्षा नियम के नियम–5 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि लेखा प्रशिक्षण शाला के प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों को उत्तीर्ण होने के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है अतः यह स्पष्ट है कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 40 प्रतिशत है जो प्रशिक्षणार्थी 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लेकर परीक्षा उत्तीर्ण करते है तो उन्हें नियमानुसार परीक्षा उत्तीर्ण होने पर एक अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता होगी।

13. एस0सी0 तथा एस0टी0 के अभ्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिये सिर्फ न्यूनतम निर्धारित अंको में नियमानुसार 10 प्रतिशत अंको की छूट होगी। यह छूट 1 वेतनवृद्धि के लिये निर्धारित 60 प्रतिशत

अंको के (या उससे अधिक अंक लेकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के) प्रकरणों के लिये लागू नहीं होगी।

उक्त बिन्दु लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिये है सीधी भर्ती के नवनियुक्ति परीवीक्षाधीन एस0ए0एस0 तथा म0प्र0 वित्त सेवा के परीवीक्षाधीन अधिकारियों के हेतु संचालनालय की एस0ए0एस0 स्थापना तथा राजपत्रित स्थापना शाखा पृथक से कार्यवाही करेगी।

उपरोक्त दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न –उपरोक्तानुसार

(अनिरूद्व मुखर्जी)
आयुक्त, कोष एवं लेखा
एवं सचिव म0प्र0 शासन वित्त विभाग

क्रमांक / डी.टी.ए. / परीक्षा / 2016 / 57 — भोपाल, दिनांक 30 / 05 / 2016

प्रतिलिपि:–

1– उप संचालक राजपत्रित शाखा की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु

2– सहायक संचालक एस0ए0एस0 शाखा की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

3– सहायक संचालक परीक्षा शाखा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अनिरूद्व मुखर्जी)
आयुक्त, कोष एवं लेखा
एवं सचिव म0प्र0 शासन वित्त विभाग

पंजी का नमूना

(दो प्रतियों में रखा जाये एक प्रति लेखा प्रशिक्षण शाला तथा दूसरी प्रति संचालनालय कोष एवं लेखा भेजी जाये)

स्व प्रमाणित फोटो

1 लेखा प्रशिक्षण सत्र का नाम – ...

2 कर्मचारी का नाम :– ...

3 पिता / पति का नाम – ...

4 जाति – ...

5 स्थाई पता :– ...

6 वर्तमान पता – ...

7 पदनाम – ...

8 कार्यालय का नाम एवं पता – ...

9 विभाग का नाम – ...

10 जन्मतिथि – ...

11 पहचान चिन्ह :– ...

12 आधार नम्बर – ...

13 शैक्षणिक योग्यता – ...

14 शासकीय सेवा में नियुक्ति दिनांक – ...
(अ) तदर्थ नियुक्ति (ब) नियमित नियुक्ति

15 क्या आवेदक ने मुद्रलेखन परीक्षा पास की है ? :– ...
(यदि हाँ तो प्रमाण पत्र सलग्न करे)

16 क्या कर्मचारी अनु.जाति / अनु.जनजाति का सदस्य है (यदि हॅ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें) – ...

17 क्या कर्मचारी ने पूर्व में लेखा प्रशिक्षण प्राप्त किया है?यदि हॉ तो सत्र.केन्द्र तथा रोल नम्बर का उल्लेख अवश्य रूप से किया जाये – ...

18 आवेदक का मोबाईल कमांक / दूरभाष कमांक – ...

स्व प्रमाणित फोटो

प्रमाण--पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती .... पद .... कार्यालय .... द्वारा लेखा प्रशिक्षण हेतु प्रस्तुत विवरण कार्यालयीन अभिलेख अनुसार पूर्णतः सत्य है। उन्होने पूर्व मे किसी भी लेखा प्रशिक्षण शाला मे नियमित प्रशिक्षणार्थी के रूप मे प्रशिक्षण प्राप्त नही किया है। उनके विरूद्व किसी भी प्रकार की जाच लम्बित नही है।तथा वह निष्ठावान है

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर